(भारतकेराजपत्रभागII, खण्ड-3, उपखण्ड (i)में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

स्वास्थ्यएवंपरिवारकल्याणमंत्रालय

नईदिल्ली, तारीख : 2018

अधिसूचना

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़, मुख्य लिपिक, भर्ती नियम, 1989, जहाँ तक उसका संबंध ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़ में मुख्य लिपिक के पद से है,कोउन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़, नई दिल्ली में मुख्य लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**(1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़, नई दिल्ली, मुख्य लिपिक (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2018 है।
   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण** और **पे-मेट्रिक्स में लेवल**- उक्त पदकी संख्या, उसका वर्गीकरण और पे-मेट्रिक्स में लेवल वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि**- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति-
   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय -समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

अनुसूची

पे- मैट्रिक्स में लेवल

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	~~वेतन बैंडग्रेड वेतन~~ , या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुख्य लिपिक	1*(2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	पे मैट्रिक्स में लेवल-6 (35400-112400)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	पदोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा ।
11
क) (i) ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक/लेखाकार/आशुलिपिक के पद से पदोन्नति जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स के लेवल में 10 वर्ष नियमित सेवा की हो। (ii) स्थापना, स्टोर की खरीद, लेखांकन और बजटिंग एवं रोकड़ कार्य और कार्यालयी दैनंदिन कार्य संबंधी नियमोंऔर विनियमों की पूर्ण जानकारी हो। केंद्र सरकार के ऐसे अधिकारी के पद से प्रतिनियुक्ति जिन्होंने: (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों, अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स में लेवल-4 के वेतनमान अथवा समकक्ष में 10 वर्ष नियमित सेवा की हो, और (iii)स्थापना, स्टोर की खरीद, लेखांकन और बजटिंग एवं रोकड़ कार्य और कार्यालयी दैनंदिन कार्य संबंधी नियमों और विनियमों की पूर्ण जानकारी हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए): 1. निदेशक, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली - अध्यक्ष 2. प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य 3. राजपत्रित अधिकारी , - सदस्य समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति हेतु विचार करने के लिए) - 1. निदेशक, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली - अध्यक्ष 2. प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य 3. राजपत्रित अधिकारी , - सदस्य 4.	लागू नहीं होता

[ए.12018/9/2015-एमएच-।।]

अवर सचिव, भारत सरकार